File No.H-11016/12/2020-NP DTE-Part (1)

राष्ट्रीयपरियोजनानिदेशालय / NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
केन्द्रीयजलआयोग/ CENTRAL WATER COMMISSION
पांचवातल (द),सेवाभवन,आरकेपुरम / 5th Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram
सैक्टर-1,नईदिल्ली/ Sector-1, New Delhi-66
टैलीफेक्स/ Tele / Fax : 011 – 29583396
ईमेल / email: np1dte-cwc@gov.in

जल है तो कल

विषय/ Sub: **Mentioning of Matters of Urgent Public Importance-Special Mention by Shri Dushyant Singh, Hon'ble MP (Lok Sabha) regarding "Demand for Declaring Eastern Rajasthan Canal Project as National Project".**

संदर्भ / Ref: Member (WP&P), CWC email dated 23.12.2022

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ईमेल का अवलोकन करें जिसके तहत श्री दुष्यंत सिंह माननीय सांसद लोकसभा द्वारा नियम 377 के तहत चर्चा में लाया गया विषय जो कि राजस्थान की पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की योजना में शामिल करने के बारे में है टिप्पणी हेतु इस कार्यालय को भेजा गया था।

इस बाबत कथन है कि , किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने से संबन्धि त प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा उस परियोजना को जल संसाधन, नदी वि कास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग की सलाहकार समिति (Advisory Committee) की मंजूरी एवं Investment Clearance की मंजूरी मिल जाने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदोपरांत, उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

इस संबंध में उल्लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिये राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में कोई अनुरोध केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान में, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रस्ताव, केन्द्रीय जल आयोग, में मूल्यांकन (Appraisal) के स्तर पर है।

यह मुख्य अभियंता (पीपीओ), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के अनुमोदन के साथ जारी है।

27/12/2022

(पुनीत कुमार मित्तल/ Puneet Kumar Mittal)
(निदेशक / Director)

निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: निदेशक,परियोजना मूल्यांकन (मध्य),केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली

H-11022/4/2019-Parl.
Government of India
Ministry of Jal Shakti
D/o WR, RD & GR
Parliament Section
******

O/o Commissioner (SP)
DoWR, RD & GR
Dy. No....229.....
Date....23/12/022....

Room No. 227, 'C' Wing
Shram Shakti Bhawan,
New Delhi, dated: 20.12.2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: **Matter Raised Under Rule 377 in Lok Sabha by Shri Dushyant Singh,M.P. on 19.12.2022**

Ref: Need to declare Eastern Rajasthan Canal Project as a National Projcet

The undersigned is directed to forward herewith a copy of the O.M. No377/XVII/X/2022/LSS/TO/**205** dated 20.12.2022 received from Lok Sabha Secretariat on the subject mentioned above and to say that the reply(final or interim), to be issued over the signature of Hon'ble Minister (Jal Shakti), may please be sent directly to concerned Member of Parliament **within one Month's time** and a copy of the same may please endorsed to Ministry of Parliamentary Affairs and Table Office, Lok Sabha Secretariat, under intimation to Parliament Section, so that their records remain updated.

Encl. As above.

SSKushwaha
20/12/22
Srikant Singh Kushwaha)
Section Officer (Parl.)
Tel : 23719033
Email: parl-mowr@nic.in

To

The Commissioner (SPR), DoWR,RD &GR

22/12

SJC - II

email send on
20th Dec 2022
05:03 PM

LOK SABHA SECRETARIAT

(Table Office, Room No. 22, Parliament House)

No. 377/XVII/X/2022/LSS/TO/205 **Date: 20-12-2022**

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Matter Raised Under Rule 377

*****

An extract from Lok Sabha Debates dated **19-12-2022** containing matter raised under Rule 377 by **Shri Dushyant Singh, M.P.** is enclosed.

2. The matter raised by the member may please be placed before the Minister of **JAL SHAKTI** for such action as the Minister may deem fit.

3. The Lok Sabha on the recommendation of the Rules Committee has agreed that the Ministers should send their replies to Members regarding matters raised by them in the House within one month's time. It is, therefore, requested that the Member may kindly be informed of the action taken in the matter direct under intimation to this Secretariat within the stipulated period.

UNDER SECRETARY

PS to Minister

... (व्यवधान)

Re: Need to declare Eastern Rajasthan Canal Project as a National Project

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) वर्ष 2051 तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़- बारां सहित 13 जिलों में राज्य की 41% आबादी को लंबी अवधि की सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करेगी यह खेती योग्य भूमि को 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ायेगी और भूजल स्तर में वृद्धि करेगी।

इस परियोजना की प्रस्तावित लागत लगभग रु. 37,000 करोड़ रूपये हैं। काम में देरी होने की वजह से यह आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। राज्य इस परियोजना की कीमत अकेले वहन नहीं कर सकता। वैसे भी राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इसका राजकोषीय घाटा 4.36% है, जो FRBM की 3% की सीमा से अधिक है। इसके 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अपने वित्तीय और ऋण लक्ष्यों को पार करने का भी अनुमान है। इसलिए, राज्य को इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है जो केंद्र ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके प्रदान कर सकता है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह जल्द से जल्द ईआरसीपी को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करें या पीकेसी परियोजना के साथ ईआरसीपी के लिंकेज के लिए एक प्रस्ताव का सुझाव दें जो परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने योग्य बनाता है।

(इति)

File No.H-11017/10/2020-NP DTE
राष्ट्रीयपरियोजनानिदेशालय / NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
केन्द्रीयजलआयोग/ CENTRAL WATER COMMISSION
पांचवातल (द),सेवाभवन,आरकेपुरम / 5th Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram
सैक्टर-1,नईदिल्ली/ Sector-1, New Delhi-66
टैलीफेक्स/ Tele / Fax : 011 – 29583396
ईमेल / email: np1dte-cwc@gov.in

विषय/ Sub: **Mentioning of Matters of Urgent Public Importance-Special Mention by Shri Pramod Tiwari, Hon'ble MP (Rajya Sabha) regarding "Demand for Declaring Eastern Rajasthan Canal Project as National Project".**

संदर्भ / Ref: Member (WP&P), CWC email dated 23.12.2022

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ईमेल का अवलोकन करें जिसके तहत श्री प्रमोद तिवारी, माननीय मंत्री राज्य सभा द्वारा प्रेषित पत्र जो कि राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना में शामिल करने के बारे में टिप्पणी हेतु इस कार्यालय को भेजा गया था।

इस बाबत कथन है कि , किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने से संबन्धि त प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा उस परियोजना को जल संसाधन, नदी वि कास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग की सलाहकार समिति (Advisory Committee) की मंजूरी एवं Investment Clearance की मंजूरी मिल जाने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदोपरांत, उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

इस संबंध में उल्लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिये राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में कोई अनुरोध केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान में, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रस्ताव, केन्द्रीय जल आयोग, में मूल्यांकन (Appraisal) के स्तर पर है।

यह मुख्य अभियंता (पीपीओ), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के अनुमोदन के साथ जारी है।

(पुनीत कुमार मित्तल/ Puneet Kumar Mittal)
(निदेशक / Director)

निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली

प्रतिलिपि: निदेशक,परियोजना मूल्यांकन (मध्य),केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली

MOST IMMEDIATE
SPECIAL MENTION

RAJYA SABHA SECRETARIAT
(Legislative Section)

Subject: **Mentioning of Matters of Urgent Public Importance- Special Mention.**

A copy of the extract of the Special Mention raised by **Shri Pramod Tiwari, M.P., on 13th December, 2022** in the Rajya Sabha, is placed below with the request that the same may kindly be placed before the **Minister of Jal Shakti.**

2. The reply to the Special Mention may kindly be sent direct to the Member concerned *(and not through this Secretariat)* by the Hon'ble Minister, under intimation to this Secretariat, **within a stipulated period of one month** from the date the matter has been raised.

3. Database on Special Mentions with search facility is available in the website **http://rajyasabha.nic.in** under the link, **Business → Special Mention**. Interested Ministries/Departments can view the details of all the Special Mentions raised in the Rajya Sabha concerning them for their information. The text of Special Mention can also be downloaded from the website.

Sanjay

(SANJAY KUMAR)
UNDER SECRETARY
Tel.23034727
23793376
Email: rslegis@sansad.nic.in

To

The Ministry of Jal Shakti,
Government of India,
New Delhi.

U.O.No.RS.4/3/2022-L. dated the 19th December, 2022.
Copy to: The Ministry of Parliamentary Affairs *(with relevant extracts),* 86, Parliament House, New Delhi.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

(Ends)

Demand for Declaring Eastern Rajasthan Canal Project as National Project

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान) : महोदय, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें मानसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज नदियों के अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती और काली सिंध नदियों में पहुँचाने की परिकल्पना की गयी है।

परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में मनुष्य एवं पशुओं के लिए वर्ष 2051 तक पेयजल की उपलब्धता एवं बाढ़ और अकाल की परिस्थितियों में कमी लायी जाएगी। इसके अलावा 26 वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा सिंचित क्षेत्रों का कायाकल्प एवं 2 लाख हेक्टेयर नये सिंचित क्षेत्रों की सिंचाई भी हो सकेगी। इसके साथ ही 67,615 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी किया जाना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 37,247 करोड़ आंकी गयी है।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए लगातार निवेदन किया जा रहा है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि राजस्थान की 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' के महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए इसे शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, जिससे झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर की एक बड़ी आबादी को राहत मिल सके।

(समाप्त)

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

(Ends)

(FOLLD. BY HK/3P)

सूचनाकाअधिकार /RTI Matter

राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय/ NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
केन्द्रीय जल आयोग / CENTRAL WATER COMMISSION
पांचवा तल(द),सेवा भवन,आरकेपुरम / 5th Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram
सैक्टर-1,नई दिल्ली/ Sector-1, New Delhi-66
टैली फेक्स / Tele / Fax : 011 – 29583396
ईमेल / email: np1dte-cwc@gov.in

विषय/ Sub: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत Shri Sunil Pareek, Sector H, House No 31, On Circle to GWD Road, Near SBI NRI Branch,Shastri Nagar, Jhodpur, Rajasthan, 342003 email: publicinterestjodhpur@gmail.com का RTI क्रं CWCND/R/T/22/00081 दिनांक 13/04/2022 का आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध मे ।

संदर्भ/ Ref: Dir., WP&P Coord, CWC File. I-12011/24/2022-WPP Coord. Dt. 25.07.2022.

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके द्वारा तहत श्री सुनील पारीक से प्राप्त आरटीआई आवेदन को उत्तर देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया है । परियोजना तैयारी संगठन, , केंद्रीय जल आयोग के तहत राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से संबन्धित राजस्थान सरकार द्वारा कुल 5 DO पत्र प्राप्त हुए है। जिंनका केंद्रीय जल आयोग के जबाब के साथ विवरण Annexure में संलग्न है।

Signed by Sanjay Kumar
Date: 10-08-2022 13:46:34
Reason: Approved

(संजयकुमार/ Sanjay Kumar)
निदेशक/ Director

निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली- 110066.

RTI Matter

No. A-49012/8/2022/RTI/291
Government of India
Central Water Commission
RTI Cell
***

5th Floor (N), CWC
Sewa Bhawan, R.K. Puram
New Delhi-110066
Date: 20.07.2022

Sub :- RTI Application Under RTI Act 2005 of Shri Sunil Pareek, Sectro-H, House No-31, on Circle to GWD Road , Near SBI NRI Branch, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, Pin: 342003.

A copy of above RTI application Regd. CWCND/R/X/22/00003 dated 19/07/2022 and CWCND/R/X/22/00004 dated 19/07/2022 is transferred to you for taking necessary action under the provisions of RTI Act, 2005.

You are requested to kindly furnish the desired information directly to the applicant within the stipulated period under the RTI Act, 2005. In case the information asked for by the applicant also pertains to some other CPIO(s) or to some other Ministry (ies)/ Department(s), the same may also be transferred to him/them under the provisions of the RTI Act, 2005.

Encl:-As above.

Pinki 21/7/22
(Pinki Pandey)
Under Secretary & Nodal Officer
Tel: 011-2958 3356

To,

1. Deputy Director-II (RMCD) & CPIO, CWC, 2nd Floor, Sewa Bhawan, New Delhi.
2. Director (WP&PC) & CPIO, 3th Floor, CWC, Sewa Bhawan, New Delhi.
3. Director (D&R-(C) & CPIO, CWC, 4th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi.
4. Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan, Pin-302005.
5. Nodal Officer, RTI Cell, MOWR,RD&GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi – 110001.
6. S.E.(Coord.) & CPIO, Yamuna Basin Organisation, Central Water Commission, Kalindi Bhawan, B-5, Tara rescent Road, Qutub Institutional Area, **New Delhi**

Copy to,:

Shri Sunil Pareek, Sectro-H, House No-31, on Circle to GWD Road , Near SBI NRI Branch, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan, Pin: 342003.

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	CWCND/R/X/22/00003	**Date of Receipt :**	19/07/2022
Transferred From :	Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on 19/07/2022 With Reference Number : MOWRC/R/E/22/00215		
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	**Language of Request :**	English
Name :	SUNIL PAREEK	**Gender :**	Male
Address :	SECTOR-H, HOUSE NO-31, ON CIRCLE TO GWD ROAD, NEAR SBI NRI BRANCH, SHASTRI NAGAR , JODHPUR, RAJASTHAN, Pin:342003		
State :	Rajasthan	**Country :**	Details not provided
Phone No. :	+91-8890888149	**Mobile No. :**	+91-8890888149
Email :	publicinterestjodhpur@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Urban	**Education Status :**	Above Graduate
Letter No. :	Details not provided	**Letter Date :**	Details not provided
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10)	**Mode of Payment**	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	**Request Pertains to :**	
Information Sought :	The Complete RTI Application is attached in PDF File. Please provide the information on relevant portion directly to the applicant.		

Original RTI Text :

Pinki 20/7/22
SO(RTI) 20/7/22

The Complete RTI Application in Hindi and English is attached in PDF File: 298 KBS

RTI Application Under RTI Act-2005

To Date: 10/07/2022
Central Public Information Officer (CPIO)
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India

Please provide information as follows under the time-bound RTI Act:

The Complete RTI Application in Hindi and English is attached in PDF File: 298 KBS
Please necessarily take the attached complete application into kind consideration and provide sought complete information accordingly.

Special Note: As per Section 20 (1) of the RTI Act, the CIC, has the power to impose a penalty on the CPIO, while deciding on a complaint or a second appeal. The penalty can be imposed, if the CPIO has: Refused to receive an application. Not furnished the requested information within 30 days of receiving the application. Without any Prejudice Let me bring into your kind notice that Delay can cause Rs. 250.00 per day, till the complete information is furnished or the application is received, subject to a maximum of Rs. 25,000.00. The penalty has to be paid by the CPIO from his salary and not by the Public Authority. Moreover,

Under Section 20 (2) of the RTI Act, the CIC (Central Information Commission, New Delhi) can also recommend disciplinary action as per the service rules applicable to the concerned CPIO.
Certified Copies Meaning: All documents shall have seal and sign of issuing authority with date of issue on each page before giving to applicant under RTI Act.
Time Bound: 30 Days on or before 10/08/2022
Note: Requesting kindly maintain UTMOST TRANSPARENCY while dealing with providing sought complete truthful updated Information under RTI Act.
Yours Truly

SUNIL PAREEK
(Citizen of India)
Jodhpur, Rajasthan, India

Print Save Close

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	CWCND/R/X/22/00004	**Date of Receipt :**	19/07/2022
Transferred From :	Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on 19/07/2022 With Reference Number : MOWRC/R/E/22/00215		
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	**Language of Request :**	English
Name :	SUNIL PAREEK	**Gender :**	Male
Address :	SECTOR-H, HOUSE NO-31, ON CIRCLE TO GWD ROAD, NEAR SBI NRI BRANCH, SHASTRI NAGAR , JODHPUR, RAJASTHAN, Pin:342003		
State :	Rajasthan	**Country :**	Details not provided
Phone No. :	+91-8890888149	**Mobile No. :**	+91-8890888149
Email :	publicinterestjodhpur@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Urban	**Education Status :**	Above Graduate
Letter No. :	Details not provided	**Letter Date :**	Details not provided
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10)	**Mode of Payment**	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	**Request Pertains to :**	
Information Sought :	Complete RTI Application is attached in PDF. Information on relevant portion may be furnished directly to the applicant.		

The Complete RTI Application in Hindi and English is attached in PDF File: 298 KBS

RTI Application Under RTI Act-2005

To Date: 10/07/2022
Central Public Information Officer (CPIO)
Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India

Please provide information as follows under the time-bound RTI Act:

Pendi 20/7/22

SO(RTI) 21/7/22

Original RTI Text : The Complete RTI Application in Hindi and English is attached in PDF File: 298 KBS
Please necessarily take the attached complete application into kind consideration and provide sought complete information accordingly.

Special Note: As per Section 20 (1) of the RTI Act, the CIC, has the power to impose a penalty on the CPIO, while deciding on a complaint or a second appeal. The penalty can be imposed, if the CPIO has: Refused to receive an application. Not furnished the requested information within 30 days of receiving the application. Without any Prejudice Let me bring into your kind notice that Delay can cause Rs. 250.00 per day, till the complete information is furnished or the application is received, subject to a maximum of Rs. 25,000.00. The penalty has to be paid by the CPIO from his salary and not by the Public Authority. Moreover,

Under Section 20 (2) of the RTI Act, the CIC (Central Information Commission, New Delhi) can also recommend disciplinary action as per the service rules applicable to the concerned CPIO.
Certified Copies Meaning: All documents shall have seal and sign of issuing authority with date of issue on each page before giving to applicant under RTI Act.
Time Bound: 30 Days on or before 10/08/2022
Note: Requesting kindly maintain UTMOST TRANSPARENCY while dealing with providing sought complete truthful updated Information under RTI Act.
Yours Truly

SUNIL PAREEK
(Citizen of India)
Jodhpur, Rajasthan, India

Print Save Close

RTI Application Under RTI Act-2005

To **Date: 10/07/2022**

Central Public Information Officer (CPIO)

Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources,

River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India

Please provide information as follows under time bound RTI Act:

1) **ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट (National Level Project)** बनाने (ताकि राजस्थान राज्य के पूर्वी क्षेत्र में प्रभावित 82 विधानसभा स्थानों पर रहने वाले आम लोगो के भाग्य को अविलम्ब प्रचुर मात्रा में सतही पानी पहुंचाकर बदला जा सके। इस पूर्वी क्षेत्र में सतही पानी पहुंचने पर राज्य के करीब 02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की एवं करीब 40% जनसँख्या (राज्य के करीब 13 जिलों की) के पीने हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।) के सम्बन्ध में **दिनांक 21 सितम्बर 2017 से 04 जुलाई 2018 तक एवं 04 जुलाई 2018 से आज दिनांक** तक भारत सरकार के **जल शक्ति मंत्रालय स्वयं तथा सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारीयों के द्वारा** आज दिनांक तक **राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार (Chief Secretary, Govt. of Rajasthan), अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary), प्रमुख सचिव (Principal Secretary) , संयुक्त सचिव (Joint Secretary), मुख्य अभियंता (Chief Engineer) , सहायक मुख्य अभियंता (Additional Chief Engineer), जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) Jaipur, एवं राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग (State Water Resources Planning Department) Jaipur, Rajasthan, के कार्यालय को ईमेल तथा सरकारी डाक के द्वारा भेजे गए समस्त आधिकारिक (Official) एवं अर्ध शाशकीय (Demi Official) सम्पूर्ण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ** मुझे व्यापक जनहित में प्रदान करवावें। साथ ही साथ **अतिआवश्यक रूप से** उन समस्त आधिकारिक एवं अर्ध शाशकीय प्राप्त पत्रों के **प्रतिउत्तर में आज दिनांक तक** राजस्थान राज्य सरकार के उक्त वर्णित **समस्त अधिकारीयों ने आज दिनांक तक जो भी जवाब भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय स्वयं तथा सम्बंधित अन्य विभागों के अधिकारीयों को** प्रेषित

किया हैं उन **समस्त सम्पूर्ण जवाबों युक्त पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ** स्पस्ट रूप से मुझे व्यापक जनहित में प्रदान करवावें।

Special Note: As per Section 20 (1) of the RTI Act, the CIC, has the powers to impose a penalty on the CPIO, while deciding on a complaint or a second appeal. The penalty can be imposed, if the CPIO has: Refused to receive an application. Not furnished the requested information within 30 days of receiving the application. Without any Prejudice Let me bring into your kind notice that Delay can cause Rs. 250.00 per day, till the complete information is furnished or the application is received, subject to a maximum of Rs. 25,000.00. The penalty has to be paid by the CPIO from his salary and not by the Public Authority. Moreover, Under Section 20 (2) of the RTI Act, the CIC (Central Information Commission, New Delhi) can also recommend disciplinary action as per the service rules applicable to the concerned CPIO.

Certified Copies Meaning: All documents shall have seal and sign of issuing authority with date of issue on each page before giving to applicant under RTI Act.

Time Bound: 30 Days on or before 10/08/2022

Note: Requesting kindly maintain UTMOST TRANSPARENCY while dealing with providing sought complete truthful updated Information under RTI Act.

Yours Truly

Sunil

SUNIL PAREEK

(Citizen of India)

Sector-H, House No-31

Shastri Circle to New Power House Road,

Shastri Nagar, Jodhpur, 342003, Rajasthan

Email: publicinterestjodhpur@gmail.com

Annexure

अति विशिष्ट व्यक्ति संदर्भ / VIP Reference

NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
CENTRAL WATER COMMISSION
2B, 8th Floor (N), Sewa Bhawan, R.K. Puram Sector-1,
New Delhi-110066

राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
Tele / Fax : 011 - 29583395
Email: np1dte@gmail.com

विषय / Sub: VIP reference letter dated 06.04.2018 of Shri Kirodi Lal Meena, Hon'ble MP (Rajya Sabha), regarding inclusion of Rajasthan Eastern Canal Project under National Project Scheme.

संदर्भ / Ref: 1. MoWR RD&GR, No. P-11019/2/2018-SPR Section, dared 04.05.2018.

Please refer to the letter under reference vide which a letter received from Shri Kirodi Lal Meena, Hon'ble MP (Rajya Sabha) on inclusion of Eastern Rajasthan Canal Project in the scheme of National Projects has been forwarded to this office to furnish material for reply.

In this connection, it is to intimate that this project has not been received for inclusion as National Project. Further, the procedure for inclusion of new project as National Project as stipulated in Guidelines for Implementation of National Projects is as under :

1. New projects could be considered for inclusion as National Projects on receipt of proposals from the State Governments in the prescribed format, clearance from Expenditure Finance Committee / Project Investment Board and on the recommendation thereupon of a high powered Steering Committee constituted for the purpose of overseeing the entire process of selection and implementation of National Projects and the approval by the Union Cabinet.
2. State Governments may submit proposal in the prescribed format for inclusion of project as a National Project. The proposal should be submitted through the Regional Office of Central Water Commission (CWC) with a copy each of the proposal to the CWC (HQ) and the Ministry of Water Resources.
3. The project proposed for inclusion as National Project should fulfil all the eligibility criteria required for funding under Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), including the investment clearance of the Planning Commission (now to be obtained from MoWR, RD & GR only).
4. Only major irrigation / multi-purpose projects shall be eligible for inclusion as National Projects.
5. On receipt of a proposal from the State Government for inclusion of a project as National Project, the Ministry of Water Resources may send a team of officers to the project site with a view to make assessment of the present status of the project and to firm up the plans for its completion in a specified time-frame.
6. For more information kindly visit "mowr.gov.in/sites/default/files/NProjects572133778_1.pdf".

This issues with approval of the Chief Engineer (PPO), CWC, New Delhi.

15/05

o/c for निदेशक / Director

अनुभाग अधिकारी, (राज्य परि.), जल संसाधन, नदी संरक्षण एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, क. क्र.–635, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–01.

क्र० / No० 2/8/2012/VIP/NP-II/Vol-V/ 675-76

दिनांक / Date : 15th मई / May 2018.

प्रतिलिपि :

मुख्य अभियंता, परियोजना मूल्यांकन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली – 66 ।

Office of Chief Engineer (PPO), CWC
Dy. No. VIP-37
Date 4/5/18

IMMEDIATE
VIP Reference
By email/post

भारत सरकार
Government of India
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
(SPR Section)

Room No.635, Shram Shakti Bhawan
New Delhi, Dated 04.05.2018

Subject: VIP Reference letter dated 06.04.2018 of Sh. Kirodi Lal Meena, Hon'ble MP(Rajya Sabha) regarding inclusion of Rajasthan Eastern Canal Project under Nation Project Scheme.

The undersigned is directed to refer to and forward herewith a copy of aforementioned VIP Reference on the above cited subject.

It is requested that comments of CWC on the issue raised therein by the Hon'ble MP(Rajya Sabha) may kindly be sent to this office **latest by 11.05.2018**. A soft copy of the same may also be sent on email **project1-mowr@nic.in/sjcpr-mowr@nic.in**.

Encl: As above.

(S.K. Gaur)
Section Officer (SPR)
Tel/FAX No. 23711370

To

Chief Engineer(PAO/PPO/PMO/YBO), Central Water Commission.

4/5/18
Dir (NP)
8/5
Sh. Nagendra AD

521616/2018/SPR Section

नितिन गडकरी
NITIN GADKARI

मंत्री
जल संसाधन,नदी विकास,गंगा संरक्षण,
सड़क परिवहन,राजमार्ग एवं पोत परिवहन
भारत सरकार
Minister
Water Resources
River Development,Ganga Rejuvenation,
Road Transport, Highways and Shipping
Government of India

सत्यमेव जयते

e-VIP 1/5/18 2717

159 ... 18

OFFICE OF SECRETARY (WR, RD&GR) 2/5

प्रिय डॉ. किरोड़ी लाला मीणा जी,

आपका दिनांक 06 अप्रैल, 2018 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गये राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के संबंध में लिखा है।

मैं इस मामले को मंत्रालय में समुचित कार्रवाई के लिए भेज रहा हूँ।

सादर,

Comm(SP)

भवदीय,
ह०/-
(नितिन गडकरी)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
3/80, एस एफ एस, अग्रवाल फार्म,
मानसरोवर, जयपुर,
राजस्थान

प्रतिलिपिः- सचिव, ज.सं. नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित पत्र की मूल प्रति संलग्न करते हुए माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार अनुरोध है कि माननीय संसद सदस्य जी के अनुरोध पर विचार कर उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(सुधीर दिवे)
विशेष कार्याधिकारी

Pl. seek comments from
1. CE (PAO)
2. CE (PPO)
3. CE (PMO)
4. CE (YBO) / Dir Mon, Jaipur
+ put up
... 1/5
SJE-II

Room No. 210, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110 001
Tel. : WR,RD&GR (011) 23711780, 23714663, 23714200, Fax : (011) 23710804
Tel. : RT,H&S (011) 23711252, 23710121, Fax : (011) 23719023
E-mail : minister-mowr@nic.in, nitin.gadkari@nic.in

521616/2018/SPR Section

सत्यमेव जयते

क्रमांक SP-1   157-VII 26/4/18   दिनांक 06/04/2018

आदरणीय जलसंसाधन मंत्री जी,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः— राजस्थान राज्य में चम्बल एवं उसकी सहायक नदियों के राज्य सरकार द्वारा 13 जिलों को बनाये गए राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट (राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना) को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किये जाने बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आकर्षक कर निवेदन है कि राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने हाल ही के बजट भाषण में उक्त राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना से राज्य के 13 जिलों सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, बूंदी, कोटा झालावाड़ बारा एवं अजमेर को पानी उपलब्ध कराया जायेगा जिसके प्रथम चरण में करीबन 2 लाख 10 हजार हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिचाई होगी तथा इन जिलों के अधिकांष गांव एवं शहरों को पेजयल भी उपलब्ध कराया जायेगा।

राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना के प्रथम चरण के कार्य को सम्पादित कराने के लिए करीबन 37 हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी सर्वविदित है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहा पूरे मात्र 1 प्रतिशत वर्षा होती है।

Secretary (WR)

बहुत बड़ा भू—भाग मरूस्थलीय है। प्रदेश का 1040 कि.मी हिस्सा अन्तराष्ट्रीय भारत—पाक सीमा है जहा कि परिस्थितियों अत्यन्त ही विषम है तकरीबन 13 प्रतिशत एस.टी. की आबादी है जोकि विशेष परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे है।

(2)

प्रदेश में लम्बी पूरी अरवली की पर्वत श्रंखला है। गरीबी बहुत ज्यादा है। राज्य के पूर्वी हिस्सें का बड़ा भू–भाग जो डांग क्षेत्र है अत्यंत पिछड़ा हुआ है जहां पानी की भीषण समस्या है। प्रदेश में बारह माह बहने वाली एक मात्र नदी चम्बल है जिसका अधिकांश वर्षा जल बहकर बेकार चला जाता है। इस परियोजना के जरिये प्रदेश के बड़े भू–भाग में सिचाई एवं पेयजल हेतु काम में लाया जा सकता है। जो आपकी मूल सोच के अनुसार है इसे सहजना आवश्यक है। इस प्रदेश में पीने के पानी की भीषण समस्या है।

अतः मेरा निवेदन है कि उक्त जीवन दायिनी योजना हेतु जो डी.पी. आर. राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को भेज गयी है उसको त्वरित गति दिलवाते हुए केन्द्रीय जल आयोग से सहमति प्राप्त करवाके इस योजना को राज्यहित में नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किये जाने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

राष्ट्रीयपरियोजनानिदेशालय / NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
केन्द्रीयजलआयोग/ CENTRAL WATER COMMISSION
पांचवातल (द),सेवाभवन,आरकेपुरम / 5th Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram
सैक्टर-1,नईदिल्ली/ Sector-1, New Delhi-66
टैलीफेक्स/ Tele / Fax : 011 – 29583396
ईमेल / email: np1dte@gmail.com, np1dte-cwc@gov.in

VIP Reference

विषय / Sub: VIP reference letter dated 06.02.2020 of Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Sh. Ashok Gahlot requesting to include Eastern Rajasthan Canal Project under National Project Scheme.

संदर्भ / Ref: DoWR RD&GR, F. No. P-11019/4/2020-SPR Section – MoWR/20/380-81, dared 26.02.2020.

Please refer to the letter under reference vide which a letter received from Shri Ashok Gahlot, Hon'ble Chief Minister requesting to include Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) under National Project Scheme has been forwarded to this office to furnish inputs/comments for reply.

Any Project Proposal for its inclusion as National Projects is required to be submitted by State Govt. after its acceptance by Advisory Committee and subsequent Investment Clearance. The same would then be considered for inclusion as National Project as per the Guidelines for Implementation of National Projects.

In this connection, no request in prescribed proforma has been received from Govt. of Rajasthan for inclusion of Eastern Rajasthan Canal Project as National Project.

Further, the proposal of ERCP is at appraisal stage in CWC only.

This issues with approval of the Chief Engineer (PPO), CWC, New Delhi.

O/C

B Singh
(भूपिन्द्र सिंह / Bhupinder Singh)
निदेशक / Director

अनुभाग अधिकारी, (राज्य परि.), जल संसाधन, नदी संरक्षण एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, क. क्र.–635, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–01.

क्र० / No० 2/8/2012/VIP/NP-II/Vol-V/315-17 दिनांक / Date : 12th मार्च / March 2020.

प्रतिलिपि / Copy :

1. निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली – 66.
2. निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली.

Letter sent through email

URGENT
VIP Reference
By email/post

F.No.P.11019/4/2020-SPR Section-MoWR/20/380-81

भारत सरकार / Government of India

जल शक्ति मंत्रालय / Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

D/o Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

(SPR Section)

Room No.635, Shram Shakti Bhawan
New Delhi, Dated 26.02.2020

Subject: VIP Reference letter dated 06.02.2020 of Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Sh. Ashok Gehlot requesting to include Eastern Rajasyhan Canal Project under National project.

The undersigned is directed to refer to and forward herewith aforementioned VIP Reference received from Chief Minister, Rajasthan on the subject mentioned above.

In this regard, it is requested to kindly forward your inputs/comments on priority for further necessary action in the matter.

Encl: As above.

26/2/2020
(Pramod Kumar)
Section Officer(SPR)
Tel/Fax:23711370

Chief Engineer (PPO/PAO), Central Water Commission, Sewa Bhawan, New Delhi.

e-mail: project1-mowr@nic.in

DD-II
Pl. pursue with PA(C) for input/comment
05/03/2020
DD

AD
5/3

गजेन्द्र सिंह शेखावत
Gajendra Singh Shekhawat

जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार
Minister for Jal Shakti
Government of India

सत्यमेव जयते

No. M (JS) / 89 / VIP / /20 20

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

OFFICE OF COMMISSIONER (SPR) VIP 24/2/20

20 FEB 2020

प्रिय श्री अशोक गहलोत जी,

आपका दिनांक 6 फरवरी, 2020 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आपने राजस्थान राज्य की "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के संबंध में लिखा है।

मैं इस मामले को मंत्रालय में समुचित कार्रवाई के लिए भेज रहा हूँ।

सादर,

Comm (SP)

भवदीय,
ह०/-
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

श्री अशोक गहलोत,
माननीय मुख्य मंत्री (राजस्थान)
मुख्य मंत्री कार्यालय,
सचिवालय, जयपुर 302005।

प्रतिलिपिः- सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित पत्र की मूल प्रति संलग्न करते हुए माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुरोध पर विचार कर तीन सप्ताह के भीतर उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करने की कृपा करें।

we sent our reply recently. Pl. update status and put up.
2u/2
SO(-II)

24/2

SD
Sh Abhay

(अनिल कुमार वाही)
अवर सचिव

जल शक्ति अभियान
संचय जल, बेहतर कल

Office : 210, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110 001
Tel: No. (011) 23711780, 23714663, 23714200, Fax : (011) 23710804
E-mail : minister-mowr@nic.in

सत्यमेव जयते

Minister (Jal Shakti) Office
RECEIVED
Dated 12/2/20
Govt. of India

CHIEF MINISTER
RAJASTHAN

अ.शा. पत्र क्रमांक : आर.वी./मु.म/जल/20/103823
जयपुर, दिनांक :- 6.2.2020

Minister (JS)
Dy. No. 84-VIP/320
Date 20/2/2020

प्रिय श्री गजेन्द्र सिंह जी

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मानसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदी सब बेसिन के अधिशेष जल को न्यून जल वाले बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिंध, गंभीर एव पार्बती नदी सब बेसिन में पहुँचाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को अनुमोदन के लिए दिनांक 19.11.2017 को प्रस्तुत कर दी गई है।

इस परियोजना द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है एवं 26 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भरा जाकर 0.8 लाख हैक्टेयर विद्यमान सिंचित क्षेत्रों का पुनरूद्धार तथा इसके अतिरिक्त 2 लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रुपये 37247 करोड़ है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है परन्तु राजस्थान राज्य की किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी भारत सरकार से "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया है। इस संबंध में पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, राजस्थान ने माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को पत्र दिनांक 23.04.2016 व प्रमुख सचिव, माननीय प्रधानमंत्री को पत्र दिनांक 04.07.2018 द्वारा आग्रह किया गया था।

जैसा की सर्वविदित है कि राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है तथा प्रदेश में पीने के पानी की गंभीर समस्या है, उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य की "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का श्रम करावें, जिससे परियोजना की क्रियान्विति सुनिश्चित की जा सके।

सादर,

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

May take the views of the Hon'ble Minister before replying.
Addl Secy (WR, RD & GR)
PS
12/2

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
जल शक्ति मंत्री,
भारत सरकार,
210, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली – 110 001

VIP Reference

राष्ट्रीयपरियोजनानिदेशालय / NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
केन्द्रीयजलआयोग/ CENTRAL WATER COMMISSION
पांचवातल (द),सेवाभवन,आरकेपुरम / 5th Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram
सैक्टर-1,नईदिल्ली/ Sector-1, New Delhi-66
टैलीफेक्स/ Tele / Fax : 011 – 29583396
ईमेल / email: np1dte@gmail.com, np1dte-cwc@gov.in

विषय/ Sub: **VIP reference letter dated 25.06.2021 of Sh. Ashok Gahlot, Hon'ble Chief Minister (Rajasthan) for consideration of Eastern Rajasthan Canal Project under the scheme of National Project.**

संदर्भ / Ref: (i) P11019/5/2021-SPR Section-MOWR/1590-94 dated 05.08.2021.
(ii) P11019/5/2021-SPR Section-MOWR/1424-28 dated 20.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके तहत श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा प्रेषित पत्र जो कि राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना में शामिल करने के बारे में है की एक प्रति टिप्पणियों हेतु इस कार्यालय को भेजी गयी है।

इस बावत कथन है कि, किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने से संबन्धित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा उस परियोजना को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग की सलाहकार समिति (Advisory Committee) की मंजूरी एवं Investment Clearance की मंजूरी मिल जाने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदोपरांत, उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

इस संबंध में, राज्य सरकार से अभी तक राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिये राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रस्ताव, परियोजना प्राधिकरण द्वारा परियोजना के जल विज्ञान को निर्धारित किए जाने संबन्धित दस्तावेज़ न जमा कर पाने की वजह से, केन्द्रीय जल आयोग में, केवल मूल्यांकन (Appraisal) के स्तर पर है।

यह मुख्य अभियंता (पीपीओ), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के अनुमोदन के साथ जारी है।

Signed by Sanjay Kumar
Date: 10-08-2021 17:54:32
Reason: Approved

(संजय कुमार/ Sanjay Kumar)

निदेशक / Director

अनुभाग अधिकारी, (राज्य परि. II), जल संसाधन, नदी संरक्षण एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–01.

प्रतिलिपि / Copy :

1. निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली
2. निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली.
3. निदेशक, परियोजना मूल्यांकन (C), केन्द्रीय जल आयोग, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली.

IMMEDIATE
VIP REFERENCE
By email

P-11019/5/2021-SPR Section-MOWR/1424-28
भारतसरकार / Government of India
जल शक्ति मंत्रालय / Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
D/o Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
(SPR Section)

Room No.635, Shram Shakti Bhawan
New Delhi, Dated 20.07.2021

Sub: VIP Reference letter dated 25.06.2021 of Sh.Ashok Gehlot Hon'ble Chief Minister (Rajasthan) for consideration of Eastern Rajasthan Canal Project under the scheme of National Project.

The undersigned is directed to refer to and forward herewith VIP Reference letter dated 25.06.2021 received from Sh. Ashok Gehlot Hon'ble Chief Minister (Rajasthan) on the subject mentioned above.

In this regard, it is requested to kindly furnish the input/comments on the matter raised therein to this Ministry **at the earliest**.

A soft copy of the information/comments may also be sent via e-mail at sjcpr-mowr@nic.in or project1-mowr@nic.in.

Encl: As above

20/7/21
(Pramod Kumar)
Section Officer(SPR-II)
Tel. No. 23711370

To

1. **The Member (WP & P), Central Water Commission, Sewa Bhawan, New Delhi**
2. **Chief Engineer (PAO/PMO/PPO), Central Water Commission, Sewa Bhawan, New Delhi**
3. **Director (WP&P Coord), Central Water Commission, Sewa Bhawan, New Delhi**

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

8, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006
दूरभाष : 0141-2228712-13
फैक्स : 2228705

Addl. Secy. (WR)
GoI

सत्यमेव जयते

Minister (Jal Shakti) Govt. of India
RECEIVED
Dated 29/6/21

अ.शा. पत्र क्रः मु.म. / जल / 21 / 112421
जयपुर, दिनांकः 25-06-2021

प्रिय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी,

आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2018 एवं 06 अक्टूबर, 2018 को राजस्थान आगमन पर अपने भाषणों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने हेतु आश्वस्त किया था। राज्य की इस अति महत्वपूर्ण परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री को भी अनुरोध किया है (पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न)।

आपको पूर्व में प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 06 फरवरी 2020, 05 फरवरी 2021 एवं 04 जून, 2021 की निरन्तरता में, मैं पुनः आपका ध्यान राजस्थान राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत घर–घर नल से जल पहुँचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है लेकिन इस कार्य हेतु भू–जल के अभाव में सतही जल पर प्रदेश की निर्भरता के बारे में आप राजस्थान से निर्वाचित सांसद होने के नाते भी बेहतर जानते हैं। जल जीवन मिशन में परिकल्पित लाभ आम जन को दीर्घ काल तक मिलते रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अति महत्वपूर्ण है।

परियोजना द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। 26 वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को क्रियाशील कर 0.8 लाख हैक्टेयर विद्यमान सिंचित क्षेत्रों का पुनरूद्धार व इसके अतिरिक्त 2 लाख हे. नये क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 37247 करोड़ है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है परन्तु राजस्थान की किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान के 40 प्रतिशत भू–भाग को लाभान्वित करने वाली इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा शीघ्र देने की आवश्यकता है।

अतः आपसे पुनः आग्रह है कि राजस्थान राज्य की उक्त परियोजना को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान कराने का श्रम करावें जिससे प्रदेश के समस्याग्रस्त जिलों को इनके अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके।

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 001

संलग्नः उपरोक्तानुसार

ERCP
Response.
Comm. (SPR)
AG NWDA
Pl. discuss

06/07 SJC-II 7/7 SO 06/7/21

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

अ.शा. पत्र क्र: आर.वी../मु.म./जल/20/107158
जयपुर, दिनांक: 09.07.2020

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी,

जैसा कि सर्वविदित है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राज्य की एक महत्वकांक्षी परियोजना है। मानसून के दौरान चम्बल बेसिन के अधिशेष जल को न्यून जल वाले बेसिन (बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्बती इत्यादि) में पहुँचाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को आवश्यक अनुमोदन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2017 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस परियोजना द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना मे 26 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भरा जाकर 0.8 लाख हैक्टेयर विद्यमान सिंचित क्षेत्रों का पुनरुद्धार तथा इसके अतिरिक्त 2 लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 37247 करोड़ है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में 16 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है परन्तु राजस्थान राज्य की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नही हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी भारत सरकार से ''पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना'' को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य की ''पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना'' को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान कराने का श्रम करावें जिससे प्रदेश के समस्याग्रस्त 13 जिलों को इसके अंतर्गत लाभांवित किया जा सके।

सादर।

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

अ.शा. पत्र क्र: आर.वी../मु.म./जल/20/107158
जयपुर, दिनांक: 20-07-2020

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी,

आपको पूर्व में प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 107158 दिनांक 09 जुलाई, 2020 की निरन्तरता में, मैं आपका ध्यान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा।

इस परियोजना द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना मे 26 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भरा जाकर 0.8 लाख हैक्टेयर विद्यमान सिंचित क्षेत्रों का पुनरुद्धार तथा इसके अतिरिक्त 2 लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 37247 करोड़ है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में 16 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है परन्तु राजस्थान राज्य की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नही हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी भारत सरकार से "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया है। दिनांक 14 जुलाई, 2020 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सर्वसम्मति से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान करने के लिये भारत सरकार को अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि आपके राजस्थान आगमन पर दिनांक 07 जुलाई, 2018 एवं 06 अक्टूबर, 2018 को आपने अपने भाषणों में इस परियोजना के महत्व एवं स्वीकृति के संबंध में उल्लेख किया था।

मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य की "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान कराने का श्रम करावें जिससे प्रदेश के समस्याग्रस्त 13 जिलों को इसके अंतर्गत लाभांवित किया जा सके।

सादर।

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

अ.शा. पत्र क्रः आर.वी. / मु.म. / जल / 20 / 107411
जयपुर, दिनांकः 21-07-2020

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी,

मैं आपका ध्यान राजस्थान राज्य की प्रगतिरत महत्वाकांक्षी परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस परियोजना के अन्तर्गत परवन नदी पर बांध का निर्माण कर कुल 490 मिलीयन घन मीटर जल का भण्डारण कर बारां, झालावाड़ व कोटा जिलों में 2.01 लाख हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र का सृजन, 1821 गांवों को पेयजल सुविधा, औद्योगिक प्रयोजनार्थ जल के साथ–साथ वन्यजीव अभ्यारण्य हेतु जल उपयोग किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना में कमाण्ड क्षेत्र का सृजन पाईप सिंचाई प्रणाली व सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से किया जाना है।

वर्तमान में परियोजना के समस्त घटकों यथा बांध व टनल निर्माण कार्य, पाईप सिंचाई प्रणाली व सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर 2.01 लाख हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र सृजन के कार्य के साथ–साथ भूमि अवाप्ति, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से सम्बन्धित कार्य भी प्रगति पर हैं। राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 7355 करोड़ की लागत की इस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन पर माह जून, 2020 तक राशि रूपये 2961.92 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया जाये। भारत सरकार द्वारा अब तक जल क्षेत्र में 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, परन्तु राजस्थान राज्य की किसी भी जल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 14 जुलाई, 2020 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सर्वसम्मति से पवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान करने के लिये भारत सरकार को अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि "परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना" को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान कराने का श्रम करावें ताकि प्रदेश के बारां, झालावाड़ व कोटा ज़िलों को सिंचाई तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा सके ।

आदर।

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

अ.शा. पत्र क्र: मु.म./जल/20/107158
जयपुर, दिनांक: 26.10.2020

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी,

आपको पूर्व में प्रेषित अर्द्ध शासकीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2020 व 20 जुलाई, 2020 की निरन्तरता में, मैं आपका ध्यान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से राज्य के समस्याग्रस्त 13 जिलों में पेयजल एवं 2.0 लाख हैक्टेयर नवीन सिंचाई क्षेत्र सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में 16 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोंजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, परन्तु राजस्थान राज्य की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान राज्य में पेयजल संकट की गंभीर समस्या के निदान के गम्भीर प्रयासों के अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने की अत्यंत आवश्यकता है।

दिनांक 07 जुलाई, 2018 एवं 06 अक्टूबर, 2018 को राजस्थान आगमन पर आपके द्वारा अपने सम्बोधनों में इस परियोजना के महत्व एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था, जिस ओर भी मैं आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करना चाहूँगा।

मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान कराने का श्रम करावें जिससे राज्य में गंभीर जल संकट का निराकरण किया जा सके।

सादर।

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।

5

सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री
राजस्थान

अ.शा. पत्र क्रः मु.म. / जल / 21 / 107158
जयपुर, दिनांकः 27-01-2021

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी,

आपको पूर्व में प्रेषित अद्धशासकीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2020, 20 जुलाई, 2020 व 26 अक्टूबर, 2020 की निरन्तरता में, मैं पुनः आपका ध्यान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस परियोजना द्वारा राज्य के 13 जिलों में पेयजल सुविधा सुनिश्चित किये जाने के साथ ही 2 लाख हैक्टेयर नवीन सिंचाई क्षेत्र सृजित किया जाना है। अतः परियोजना से प्रदेश को व्यापक एवं दूरगामी लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में 16 बहुउद्देशीय परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है परन्तु क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। मरू प्रदेश होने के कारण पेयजल एवं अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र सृजन किये जाने हेतु राजस्थान राज्य में गंभीर प्रयास किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

दिनांक 07 जुलाई, 2018 एवं 6 अक्टूबर, 2018 को राजस्थान आगमन पर आपके द्वारा सम्बोधनों में इस परियोजना के महत्व एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था, जिस ओर भी मैं आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करना चाहूँगा।

मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि व्यापक जनहित में राजस्थान राज्य की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान कराने का श्रम करावें जिससे राज्य में गंभीर जल संकट का निराकरण किया जा सके।

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।

अति विशिष्ट व्यक्ति संदर्भ / VIP Reference

राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय / NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
केन्द्रीय जल आयोग / CENTRAL WATER COMMISSION
पांचवा तल (द), सेवा भवन, आर के पुरम / 5th Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram
सैक्टर-1, नई दिल्ली / Sector-1, New Delhi-66
टैली फेक्स / Tele / Fax : 011 – 29583396
ईमेल / email: np1dte-cwc@gov.in

विषय / Sub:	**राजस्थान मे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर अतिशीघ्र क्रियान्वित करवाने के सबंध मे।**
संदर्भ / Ref:	SJC (Indus), DoWR, RD&GR letter No. Y-13016/2/2021 Indus Section-MOWR/, 1/47595/2021/6061, दिनांक 28.06.2021.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके तहत, श्री नेमी चन्द मीना, सामाजिक कार्यकर्ता मीडिया प्रवक्ता द्वारा प्रेषित पत्र, जो कि राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर अतिशीघ्र क्रियान्वित करने के बारे में है, की एक प्रति, टिप्पणियों हेतु, इस कार्यालय को भेजी गयी है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सिंधु स्कन्ध के द्वारा निर्गत दिनांक 01.04.2021 का पत्र, राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग को नहीं मिला है।

इस बावत कथन है कि किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने से संबन्धित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा उस परियोजना को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग की सलाहकार समिति (Advisory Committee) की मंजूरी एवं Investment Clearance की मंजूरी मिल जाने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदोपरांत, उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त परियोजना का मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग में, विचारधीन है क्योंकि परियोजना प्राधिकरण ने परियोजना के जल विज्ञान को पुनर्निर्धारित कर केंद्रीय जल आयोग में प्रस्तुत नहीं किया है।

उक्त संबंध में उल्लेख है कि, राज्य सरकार से अभी तक राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिये राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार ,निर्धारित प्रोफार्मा में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

यह मुख्य अभियंता (पीपीओ), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के अनुमोदन के साथ जारी है।

Signed by Sanjay Kumar
Date: 16-07-2021 18:12:25
Reason: Approved

(संजय कुमार / Sanjay Kumar)

निदेशक / Director

Sr Joint Commissioner(Indus), DoWR, RD&GR. Indus Wing, CGO Complex, New Delhi

प्रतिलिपि / Copy :

1. निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली
2. निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली
3. निदेशक, परियोजना मूल्यांकन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली

REMINDER-I

भारत सरकार /Government of India
जल शक्ति मंत्रालय /Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
Department Of Water Resources, RD & GR
(सिंधु स्कंध /Indus Wing)
*****

O/o CE (PAO)
Dy. No. 569
Dated 13/7/21

Block-11, 8th Floor,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003, dated .06.2021

To

Chief Engineer (PPO),
Central Water Commission,
Sewa Bhawan, R. K. Puram,
New Delhi.

विषय : राजस्थान मे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रिय परियोजना घोषित कर अतिशीघ्र क्रियान्वित करवाने के संबंध में।

Too late

Sir,

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 01.04.2021 on the above mentioned subject. It is stated that requisite inputs/comments of your department for Reference/ Grievances/ Petition dated 09.02.2021 of Sh. Nemi Chand Meena, Social Worker, Media Spokesperson, Karauli Dehat Mandal, BJP Ganv Kalakhana, is still awaited. It is requested that requisite inputs/comments may please be sent to this Ministry at the earliest.

2. It is also requested that this Department may also be informed **whether a project proposal for inclusion in National Project has been received in prescribed format?**

Encl: As above.

Yours faithfully,

162/M(WP&P) 13/7/21

Pl. take inputs from PAO and send reply/inputs immediately.
12/7
EE(PPO)

(Manoj Kumar)
Sr. Joint Commissioner (Indus)
Ph: 011-2436 1540
Email: sjcindus1-mowr@nic.in

Copy to

Member (WP&P), Central Water Commission, 3rd Floor, South Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi-110 066.

Signature Not Verified
Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2021.06.28 15:25:00 IST

copy to Dir (WPC)

Dir PA(C)
13/07

From : nemichandmeena742@gmail.com Tue, Feb 09, 2021 02:52 PM
Subject : <No Subject>
To : Shri Gajendra Singh Shekhawat <minister-jalshakti@gov.in>

सेवा में
श्रीमान मंत्री महोदय
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय - राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर अतिशीघ्र क्रियान्वित करवाने के सम्बन्ध में

महोदय

मै आपका ध्यान राजस्थान की लगभग आधी आबादी के कल्याण से जुडी पूर्वी राजस्थान नहर परिय्रोजना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो इस प्रकार से पूर्वी राजस्थान के 13जिलों की जीवन रेखा बन सकती है |

इन 13जिलों में कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है जबकि भूजल की उपलब्धता में लगातार कमी होने के कारण कृषि क्षेत्र पर असर पड़ने लगा है
इसके अलावा डांग क्षेत्र होने के कारण अनेक ब्लॉक्स विकसित नहीं है नीति आयोग द्वारा भी करौली - धौलपुर जिलों में वरीयता प्राप्त जिलों में शामिल किया गया है क्योंकि ये अर्ध विकसित है जैसा कि विदित है किसी क्षेत्र के विकास में जल की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है

महोदय राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल 10प्रतिशत और यहाँ की आबादी देश की कुल आबादी की 5.5प्रतिशत इसके बाबजूद यहाँ पर सतही जल देश का 1.16प्रतिशत और भूजल 1.72प्रतिशत चुकि राज्य के 295ब्लॉक् में से 245 ब्लॉक डार्क अथवा क्रिटिकल घोषित हो चुके है |इसलिए राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान के 13जिलों तथा झालावाड़, बारा, कोटा , बूँदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान और लगभग 3लाख हेक्टेयर सिचाई क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना केंद्र सरकार को तकनिकी स्वीकृति एवं वित्तीय पोषण हेतु प्रस्तुत की है

37, 247करोड़ की अनुमानित लागत से इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि प्रदेश के सर्वागीण विकास को गति मिलेगी तथा कृषि उद्योग, तथा पशुपालन सेक्टर में प्रगति से करोडो लोगो का जीवन स्तर ऊपर उठेगा

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त परियोजना को तकनिकी स्वीकृति तथा इसके वित्तीय पोषण देने के लिए केंद्र सरकार को सहयता देने हेतु शीघ्र कार्यवाही करवाने का श्रम करें

*भवदीय *

नेमी चन्द मीना सामाजिक कार्यकर्त्ता मिडिया प्रवक्ता करौली देहात मण्डल भाजपा गांव कालाखाना, पोस्ट पालनपुर, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली 8696470118

Secy(WR)

PMO Reference

राष्ट्रीयपरियोजनानिदेशालय / NATIONAL PROJECTS DIRECTORATE
केन्द्रीयजलआयोग/ CENTRAL WATER COMMISSION
पांचवातल (द),सेवाभवन,आरकेपुरम / 5th Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram
सैक्टर-1,नईदिल्ली/ Sector-1, New Delhi-66
टैलीफेक्स/ Tele / Fax : 011 – 29583396
ईमेल / email: np1dte-cwc@gov.in

विषय/ Sub: **PMO reference dated 25.03.2021 of Sh. Ashok Gehlot Hon'ble Chief Minister (Rajasthan) for consideration of Eastern Rajasthan Canal Project under the scheme of National Project.**

संदर्भ / Ref:
1. PMO ID. No.5344857/PMO/2021-AR, Dated 25.03.2021
2. TC Dte, CWC E-mail dated 11.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके तहत श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा प्रेषित पत्र जो कि राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना में शामिल करने के बारे में है, जिसकी एक प्रति टिप्पणियों हेतु इस कार्यालय को भेजी गयी है।

इस बावत कथन है कि, किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने से संबन्धित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा उस परियोजना को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग की सलाहकार समिति (Advisory Committee) की मंजूरी एवं Investment Clearance की मंजूरी मिल जाने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदोपरांत, उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

इस संबंध में उल्लेख है कि राज्य सरकार से अभी तक राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने के लिये राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
वर्तमान में, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रस्ताव, केन्द्रीय जल आयोग, में मूल्यांकन (Appraisal) के स्तर पर है।
यह मुख्य अभियंता (पीपीओ) , केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के अनुमोदन के साथ जारी है।

Signed by Sanjay Kumar
Date: 17-11-2021 10:30:21
Reason: Approved
(संजयकुमार / Sanjay Kumar)

निदेशक / Director

SJC, (लघु सिंचाई), जल संसाधन, नदी संरक्षण एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–01.

प्रतिलिपि / Copy :

1. निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली – 66.

2. निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर॰ के॰ पुरम, दिल्ली

Prime Minister's Office

South Block
New Delhi-110 011

Please find enclosed, a copy of self-explanatory letter dated 12.03.2021 addressed to the Prime Minister by Shri Ashok Gehlot, Chief Minister, Rajasthan.

2. The undersigned is directed to request the Department to look into the matter and send its comments to this office.

(Naval Kishore Ram)
Deputy Secretary
2301 7676

Secretary, D/o Water Resources, RD & GR

PMO ID No.5344857/PMO/2021-AR Dated: 25.03.2021

Encl.: As above

I| 3735888|2021

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

8, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006
दूरभाष : 0141-2228712-13
फैक्स : 2228705

अ.शा. पत्र क्र: मु.म./जन स्वास्थ्य/21/106314
जयपुर, दिनांक: 12-03-2021

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदीजी,

आपको पूर्व में प्रेषित समसंख्यक अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 01 जून, 2020 की निरन्तरता में, मैं पुनः आपका ध्यान जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के लिए केंद्र और राज्य के बीच निधि हिस्सेदारी का अनुपात 50:50 से परिवर्तित कर 90:10 किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान निधि हिस्सेदारी प्रतिमान (Fund Sharing Parameter) नीति आयोग की शासी परिषद् (Governing Council) द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप है तथा यह निर्णय केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की सिफारिशों पर आधारित है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह भी अवगत कराया है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर समग्र राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था और 15वें वित्त आयोग के प्रथम वर्ष अर्थात 2020–21 के दौरान यह हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रखी गई है। राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि से जल जीवन मिशन हेतु अधिक संसाधन आवंटन करने की अपेक्षा की गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समग्र राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी पेयजल सहित अन्य सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु सभी राज्यों के लिये है। जल जीवन मिशन पर अधिक वित्तीय संसाधन आवंटन करने पर अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं प्रभावित हो जायेंगी।

राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है, जिसमें देश की 5.5 प्रतिशत जनसंख्या एवं 11 प्रतिशत मवेशी निवास करते है, परन्तु राज्य के पास मात्र 1.16 प्रतिशत सतही जल एवं 2.5 प्रतिशत भू–जल ही उपलब्ध है। इसके साथ ही राजस्थान का 85 प्रतिशत भाग डार्क ज़ोन में है एवं गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में भी देश के लगभग एक तिहाई गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/ढाणी राजस्थान में स्थित है। राज्य का 60 प्रतिशत भू–भाग थार रेगिस्तान है, जहॉं पर स्थानीय पेयजल स्त्रोतों की उपलब्धता लगभग शून्य अथवा अत्यधिक कम है। राज्य की गांव ढाणियॉं, खासतौर पर मरूस्थलीय इलाके में, छितरे रूप से दूर--दूर बसी हुई हैं। इन कारणों से सतही जल स्त्रोतों के माध्यम से ही पेयजल उपलब्ध कराया जाना दीर्घकालीन एवं स्थायी समाधान है। पेयजल योजनाओं हेतु आधारभूत ढांचे का तो निर्माण किया जा सकता है परन्तु 55

लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति हेतु बाह्य सतही जल स्त्रोतों से जल की व्यवस्था करना अन्य राज्यों की तुलना में अधिक चुनौती पूर्ण एवं खर्चीला है। पूर्व में भी वर्ष 2013–14 तक केन्द्र के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत मरूस्थलीय क्षेत्रों हेतु केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती थी।

राज्य के पूर्वी भाग के 13 जिलों में जहां पानी की विकट समस्या है, उनको 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नदियों को जोड़ने की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) हाथ में लेनी होगी, जिसकी लागत लगभग रू. 37247 करोड़ होगी। देश की भौगोलिक दृष्टि से सबसे बडे राज्य राजस्थान के 40 प्रतिशत भू–भाग को लाभान्वित करने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा शीघ्र दिये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2020, 20 जुलाई, 2020, 26 अक्टूबर, 2020 व 27 जनवरी, 2021 के द्वारा भी अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे पुनः आग्रह है कि राजस्थान राज्य को विशिष्ट परिस्थियों के मद्देनज़र जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 50:50 के अनुपात के स्थान पर पहाडी व उत्तर–पूर्वी राज्यो के अनुरूप ही 90:10 के अनुपात में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सादर

भवदीय,

(अशोक गहलोत)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।